सार्वजनिक वित्त और विकास:
भारत की बजटीय प्राथमिकताओं का मूल्यांकन

डॉ सज्जन सिंह यादव | अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। ईमेल: authorsajjan@gmail.com

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का लगातार सातवां केंद्रीय बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के कल्याण पर बल देता है। यह रोज़गार सृजन, कौशल विकास, एमएसएमई उद्योगों को समर्थन देने और संतुलित क्षेत्रीय विकास पर केन्द्रित है। प्रमुख पहलों में कृषि प्रणालियों को जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए बदलना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और दालों और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करना शामिल है। बजट में समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचे में निवेश और अगली पीढ़ी के सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

23 जुलाई 2024 को, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना लगातार सातवां केंद्रीय बजट पेश करके इतिहास रच दिया। 2024-25 का बजट मुख्य रूप से 'ग़रीब', 'महिला', 'युवा' और 'अन्नदाता' पर केंद्रित है। बजट में लक्षित प्रमुख क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, कौशल विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और मध्यम वर्ग शामिल हैं। बजट प्रस्तावों का उद्देश्य आर्थिक विकास और रोज़गार का एक आदर्श चक्र बनाना, सभी के लिए प्रचुर अवसर प्रदान करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुविधाजनक बनाना और समाज के सबसे कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाना है।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्री ने अपने भाषण में प्राथमिकता वाले नौ क्षेत्रों पर प्रकाश डाला: कृषि में उत्पादकता और लचीलापन; रोज़गार और कौशल; समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय; विनिर्माण और सेवाएं; शहरी विकास; ऊर्जा सुरक्षा; बुनियादी ढांचा; नवाचार, अनुसंधान और विकास; और अगली पीढ़ी के सुधार। आइए

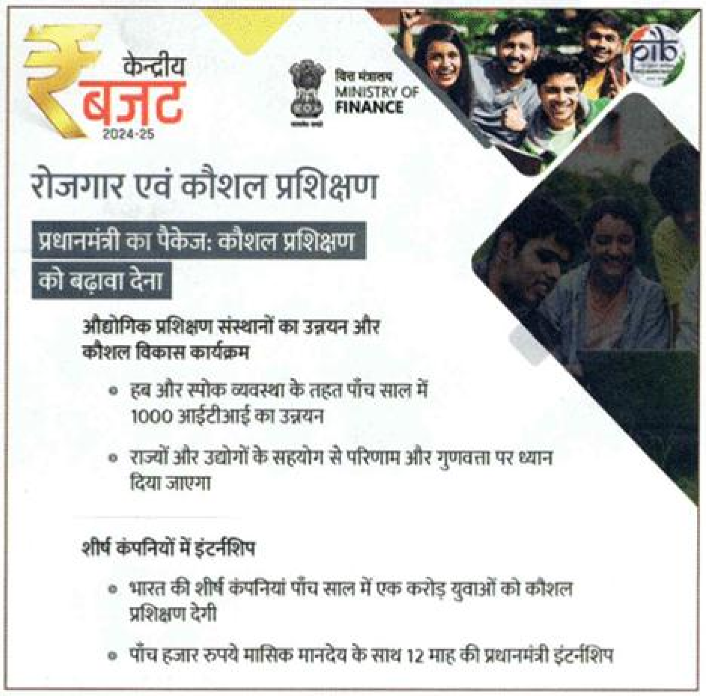

इन नौ प्राथमिकताओं पर चर्चा करें और उनका मूल्यांकन करें।

प्राथमिकता 1: कृषि में उत्पादकता और लचीलापन

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह 42.3 प्रतिशत आबादी को आजीविका प्रदान करती है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में 18.2 प्रतिशत का योगदान करती है। इसके विशेष महत्व को समझते हुए बजट में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला बनाने के लिए भारत के कृषि क्षेत्र के परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रचुर आवंटन किया गया है। कृषि में उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने के लिए घोषित प्रमुख पहल निम्नलिखित हैं:

i. **कृषि अनुसंधान में बदलाव:** कृषि उत्पादकता में बड़े परिमाण पर प्रगति हासिल करने के लिए अनुसंधान में बदलाव की आवश्यकता है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी और जलवायु-अनुकूल किस्मों को विकसित किया जा सकेगा। सरकार ने देश के कृषि अनुसंधान ढांचे में व्यापक बदलाव लाने का निर्णय लिया है। बजट में कृषि अनुसंधान के लिए चुनौती के अंदाज़ में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को धनराशि प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य किसानों को खेत और बागवानी की 32 फसलों की 109 नई, उच्च उपज वाली और जलवायु-अनुकूल किस्में उपलब्ध कराना है।

ii. **प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन:** भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्यति भारतीय परंपरा में निहित है और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से दूरी बनाते हुए देसी गायों और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है। यह जलवायु-अनुकूल, लागत-प्रभावी पद्यति है जो मिट्टी के स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करती है, जल की आवश्यकता को घटाती है और सुरक्षित और पौष्टिक भोजन पैदा करती है। बजट में अगले दो वर्षों में देश भर में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने और सहायता देने, 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करने और प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से किसानों की सहायता करने का प्रस्ताव है।

iii. **दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता:** दलहन पर्यावरण के अनुकूल फसलें हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर अल्पतम दबाव डालती हैं और मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थापित करती हैं। वे पोषण और स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में दालों की मांग और आपूर्ति के बीच 4.4 मिलियन टन का अंतर है जिसकी पूर्ति आयात से होती है। इसी तरह भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है। बजट में उनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करके दलहन और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर जोर दिया गया है।

iv. **सब्जी उत्पादन और आपूर्ति शृंखला:** फलों और सब्जियों के 256 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ भारत वैश्विक स्तर पर इनका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। परन्तु अक्षम आपूर्ति शृंखलाओं, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, परिवहन समस्याओं और अपर्याप्त बाजार संपर्कों के कारण कटाई के बाद काफी नुकसान होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए वित्त मंत्री ने प्रमुख उपभोग केंद्रों के पास सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर विकसित करने और सब्जी आपूर्ति शृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की।

v. **कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना:** डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) कृषि उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार के लिए अभिनव, किसान-केंद्रित समाधानों और सेवाओं के विकास को सक्षम करेगी। यह फसल के लिए योजना निर्धारण और फसल स्वास्थ्य पर प्रासंगिक सूचना सेवाएं प्रदान करने, कृषि इनपुट, ऋण और बीमा तक पहुंच में सुधार करने, फसल आकलन और बाजार की जानकारी में सहायता करने और कृषि-तकनीक उद्योग और स्टार्टअप के विकास में सहायता करेगा। बजट में प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि में डीपीआई को लागू करे जिसमें चालू वित्त वर्ष में 400 जिलों में खरीफ के लिए डिजिटल फसल

सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसान और भूमि पंजीयन में 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण शामिल किया जायेगा।

इन उपायों के अलावा वित्त मंत्री ने झींगा उत्पादन और निर्यात पर सरकार द्वारा बल दिए जाने की घोषणा की। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए झींगा ब्रूडस्टॉक के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटरों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा और झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा। सरकार सहकारी क्षेत्र के सुव्यवस्थित, सुचारु और सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने, ग्रामीण आर्थिक विकास को गति प्रदान करने और बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति भी पेश करेगी।

इस प्रकार बजट का उद्देश्य देश के कृषि परिदृश्य को बदलना है जिससे यह जलवायु परिवर्तन और बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक लचीला बन सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसानों को दी जाने वाली व्यापक सुविधाओं और सहायता को भी बजट में रेखांकित किया गया है।

प्राथमिकता 2: रोज़गार और कौशल विकास

भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रदान करता है लेकिन इस क्षमता को साकार करने के लिए कौशल बेमेलता, रोज़गार अवसरों में क्षेत्रीय असमानताएं, अल्परोज़गार और बेरोज़गारी जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। इस प्रकार रोज़गार और कौशल विकास बजट के केंद्रीय उद्देश्य हैं।

जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने और एक समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ के आवंटन के साथ पांच योजनाओं और पहलों के प्रधान मंत्री पैकेज की घोषणा की, जिसका लक्ष्य पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभान्वित करना है। इस महत्वाकांक्षी पैकेज का विस्तृत ब्योरा निम्नलिखित है :

i. रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-क (पहली बार काम करने वालों के लिए):

यह 2.1 करोड़ युवाओं को लक्षित है जो 1 लाख प्रति माह से कम वेतन के साथ नए कार्यबल में प्रवेश करते हैं। सरकार एक महीने का वेतन, 15,000 तक, तीन किस्तों में सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में डालेगी। सभी औपचारिक क्षेत्र इसके दायरे में आते हैं, लेकिन अगर भर्ती के 12 महीने के भीतर रोज़गार समाप्त हो जाता है तो नियोक्ता को सब्सिडी वापस करनी होगी।

ii. रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-ख (विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार सृजन)

30 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने वाली यह योजना विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की व्यापक भर्ती को बढ़ावा देती है। यदि नियोक्ता पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम 25 प्रतिशत अधिक ईपीएफओ कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं या कम से कम 50 ऐसे कर्मचारी नियुक्त करते हैं जो पहले ईपीएफओ के दायरे में नहीं थे तो इस स्थिति में प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। सरकार पहले दो वर्षों के लिए वेतन का 24 प्रतिशत, तीसरे वर्ष में 16 प्रतिशत और चौथे वर्ष में 8 प्रतिशत का भुगतान करेगी। इस योजना में 1 लाख प्रति माह तक के वेतन वाले कर्मचारी शामिल हैं, लेकिन 25,000 से अधिक कमाने वालों के लिए

तालिका-1 रोज़गार और कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री पैकेज कवरेज और अनुमानित केंद्रीय परिव्यय		
योजना	लाभार्थी (लाख में)	केंद्रीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)
रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-क (पहली बार काम करने वाले)	210	23,000
रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-ख (विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार काम करने वालों की बड़ी संख्या में भर्ती)	30	52,000
रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-ग (नौकरी सृजन)	50	32,000
इंटर्नशिप कार्यक्रम (चरण-1)	30	19,000
इंटर्नशिप कार्यक्रम (चरण-2)	70	44,000
आईटीआई को अपग्रेड करना	20	30,000
कुल	**410**	**2,00,000**

प्रोत्साहन राशि 25,000/- माह तक सीमित है। यह सब्सिडी स्कीम-क के लाभों के अतिरिक्त है।

iii. रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-ग (नियोक्ताओं को सहायता):

इस योजना से 50 लाख लोगों को रोज़गार के लिए प्रोत्साहन मिलने और सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोज़गार मिलने की अपेक्षा है। 50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ता जो अपने ईपीएफओ कर्मचारियों की संख्या में कम से कम दो की वृद्धि करते हैं, और अन्य नियोक्ता जो ईपीएफओ कर्मचारियों की संख्या में पांच की वृद्धि करते हैं, वे प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ अंशदान के लिए दो वर्षों के लिए प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी। यह सब्सिडी योजना-क के अतिरिक्त है, लेकिन योजना-ख के तहत कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं है।

कौशल विकास

रोज़गार क्षमता बढ़ाना बजट का एक अन्य केंद्र बिंदु है। इसके लिए सरकार उद्योग के सहयोग से उन्नत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अपग्रेड करने की योजना बना रही है। प्रमुख कौशल विकास योजनाओं में शामिल हैं:

i. कौशल विकास और आईटीआई को अपग्रेड करने के लिए नई योजना:

प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 20 लाख युवाओं को पांच वर्ष की अवधि में कौशल प्रदान करने के लिए 60,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक नई केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) शुरू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और उद्योग क्रमशः 30,000 करोड़ रुपये, 20,000 करोड़ रुपये और 10,000 करोड़ रुपये का योगदान देंगे। यह योजना उद्योग के सहयोग के साथ हब-एंड-स्पोक मॉडल के अनुरूप 1,000 आईटीआई को अपग्रेड करेगी, पाठ्यक्रम सामग्री को उद्योग की जरूरतों के साथ जोड़ेगी और उभरती मांगों के लिए नए पाठ्यक्रम लाएगी। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए पांच राष्ट्रीय संस्थानों की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी।

ii. शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत की शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के माध्यम से पांच वर्षों में 21-24 वर्ष की आयु के एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करेगी। इंटर्न को एक साल के लिए 5,000 मासिक भत्ता मिलेगा, जिसमें सरकार भत्ते के लिए सालाना 54,000 और आकस्मिक खर्चों के लिए 6,000 का भुगतान करेगी। कंपनियां मासिक 6,000 का योगदान देंगी और सीएसआर फंड के ज़रिए प्रशिक्षण लागत वहन करेंगी।

रोज़गार और कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री पैकेज में योजनाओं का कवरेज और अनुमानित केंद्रीय परिव्यय का ब्योरा तालिका-1 में संक्षेप में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने महिलाओं की कार्यबल में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और क्रेच के निर्माण के साथ-साथ कौशल विकास ऋण और शिक्षा ऋण योजनाओं की घोषणा की। एक लाख छात्रों को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 10 लाख तक के शिक्षा ऋण से लाभ होगा और 25,000 युवाओं को सालाना कौशल विकास ऋण मिलेगा।

इस प्रकार केंद्रीय बजट 2024-25 भारत की रोज़गार से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने, रोज़गार सृजन के लिए एक मजबूत ढांचा बनाने और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा

देने के लिए एक व्यापक रणनीति प्रस्तुत करता है। रोज़गार सृजन की पहल महत्वाकांक्षी हैं जो कई क्षेत्रों को लक्षित करती हैं और रोज़गार परिदृश्य के विविध पहलुओं का समाधान करती हैं।

प्राथमिकता 3: समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

वित्त वर्ष 2024-25 का बजट विशेष रूप से किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के व्यापक और समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। मानव पूंजी विकास और सामाजिक न्याय समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने वाली वृद्धि सुनिश्चित करते हैं। इस दिशा में प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

i. **सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए संतृप्त दृष्टिकोण:** सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी पात्र व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ मिले। योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन से शिल्पकारों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिला उद्यमियों और रेहड़ी-पटरी वालों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

ii. **पूर्वोदय:** सांस्कृतिक परंपराओं और संसाधनों से समृद्ध भारत के पूर्वी क्षेत्र में 'पूर्वोदय' योजना के तहत व्यापक विकास होगा। इस पहल का उद्देश्य मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों का विकास करना है जिससे इस क्षेत्र को विकसित भारत के लिए एक इंजन में बदला जा सके।

iii. **महिलाओं के नेतृत्व में विकास:** बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन आर्थिक विकास में उनकी भूमिका पर बल देता है। बढ़ी हुई धनराशि उनके स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को लक्षित करती है।

iv. **प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान:** आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए सरकार आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों को शामिल करते हुए यह पहल शुरू करेगी। इस पहल से 63,000 गांवों में पांच करोड़ से अधिक आदिवासी लोग लाभान्वित होंगे।

v. **इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कवरेज में विस्तार :** उत्तर पूर्व में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी।

vi. **शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास के लिए वित्तपोषण में वृद्धि:** बजट में शिक्षा के लिए आवंटन 12 प्रतिशत बढ़ाकर 1.2 लाख करोड़ कर दिया गया है जिसका उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार करना और डिजिटल शिक्षण उपकरणों तक पहुंच का विस्तार करना है। स्वास्थ्य सेवा के लिए वित्तपोषण 15 प्रतिशत बढ़ा कर 3.8 लाख करोड़ कर दिया गया है। आवास की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण में सहायता करेगी।

बजट में मानव पूंजी विकास और सामाजिक न्याय पर सरकार का बल दिया जाना एक स्वागत योग्य कदम है जो समावेशी विकास को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्गों को विकास से लाभ मिले।

प्राथमिकता 4: विनिर्माण और सेवा क्षेत्र

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोज़गार पैदा करने के लिए विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना बजट की एक प्रमुख प्राथमिकता है। एमएसएमई और श्रम-गहन विनिर्माण को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और रोज़गार सृजन के लिए महत्वपूर्ण हैं। बजट में एमएसएमई क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं जिसमें ऋण उपलब्धता बढ़ाने, अनुपालन बोझ कम करने और तकनीकी सहायता प्रदान करने के उपाय शामिल हैं। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

i. **एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना:** सरकार एमएसएमई को बिना किसी संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए सावधि ऋण की सुविधा के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू करेगी। इस योजना के लिए बजट में 9,812 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे छोटे व्यवसायों का विस्तार होगा, विश्वसनीयता में सुधार होगा और अधिक रोज़गार सृजित होंगे।

ii. **एमएसएमई ऋण के लिए नया मूल्यांकन मॉडल:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पारंपरिक परिसंपत्ति या टर्नओवर मानदंडों के बजाय एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर एक ऋण मूल्यांकन मॉडल विकसित करेंगे जिससे ऋण पात्रता मूल्यांकन में सुधार होगा।

iii. **तनाव अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता:** 'विशेष उल्लेख खाता' (एसएमए) चरण में एमएसएमई के लिए एक नया तंत्र सरकार द्वारा प्रवर्तित निधि गारंटी के माध्यम से बैंक ऋण की निरंतरता की सुविधा प्रदान करेगा जिससे उन्हें गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के चरण में जाने की स्थिति से बचने में मदद मिलेगी।

iv. **टीआरईडीएस में अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए बढ़ा हुआ दायरा:** बजट ने टीआरईडीएस (व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली) प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए टर्नओवर सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ करा है जिससे व्यापार प्राप्तियों को नकदी में परिवर्तित करके एमएसएमई के लिए कार्यशील पूंजी अनलॉक हो जाती है। इस उपाय से 7,000 और कंपनियां प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी।

इसके अतिरिक्त सिडबी (सीआईडीबीआई) सभी प्रमुख एमएसएमई क्लस्टरों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए नई शाखाएं खोलेगा और उन्हें सीधे ऋण उपलब्ध कराएगा। सरकार एमएसएमई क्षेत्र में 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना में सहायता करेगी और एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिक्री में सक्षम बनाने के लिए पीपीपी मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित करेगी।

विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अन्य योजनाएं: एमएसएमई को बढ़ावा देने के अलावा बजट में विनिर्माण और सेवाओं को बढ़ावा देने कई पहल शामिल हैं:

i. **औद्योगिक पार्क:** सरकार राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 100 शहरों में पूर्ण बुनियादी ढांचे के साथ निवेश के लिए तैयार 'प्लग एंड प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित करेगी। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत बारह औद्योगिक पार्क भी स्वीकृत किए जाएंगे।

ii. **औद्योगिक श्रमिकों के लिए किराये के आवास:** औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास-प्रकार की सुविधा के साथ किराये के आवास को व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) समर्थन और प्रमुख उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ पीपीपी मोड में सुगम बनाया जाएगा।

iii. **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) अनुप्रयोग:** ऋण, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, रसद, एमएसएमई, सेवा वितरण और शहरी शासन जैसे क्षेत्रों में उत्पादकता, व्यापार के अवसरों और नवाचार को बढ़ाने के लिए जनसंख्या स्तर पर डीपीआई अनुप्रयोग विकसित किए जाएंगे।

iv. **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** बजट में पीएलआई योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और औषधीय जैसे प्रमुख उद्योगों में रोज़गार पैदा करना है।

v. **स्टार्टअप को बढ़ावा देना:** स्टार्टअप में निवेश को बढ़ावा देने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए बजट में सभी वर्गों के निवेशकों पर 'एंजेल टैक्स' को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

ये पहल औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगी और भारतीय निर्माताओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएंगी जिससे छोटे व्यापारियों और एमएसएमई के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त होगा। सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने से आईटी और डिजिटल सेवाओं में भारत के सामर्थ्य का लाभ मिलता है जिससे समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

प्राथमिकता 5: शहरी विकास

शहरी विकास बजट की एक प्रमुख प्राथमिकता है जिसमें रचनात्मक पुनर्विकास, पारगमन-उन्मुख विकास और शहरी नवीनीकरण परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन सहित शहरों को पुनर्जीवित करने के लिए अनेक पहल प्रस्तावित हैं।

i. **विकास केन्द्र के रूप में शहर:** राज्यों के साथ मिलकर काम करते हुए सरकार शहरों को विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने में मदद करेगी। यह आर्थिक और पारगमन नियोजन तथा शहरी नियोजन योजनाओं का उपयोग करके पेरी-अर्बन क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास के माध्यम से

हासिल किया जाएगा।

ii. **शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास:** सरकार परिवर्तनकारी प्रभावों के साथ मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुनर्विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सक्षम नीतियों, बाजार-आधारित तंत्रों और विनियमों के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगी।

iii. **पारगमन-उन्मुख विकास:** 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के पारगमन-उन्मुख विकास के लिए विकास योजनाएं, कार्यान्वयन और वित्तपोषण रणनीतियां तैयार की जाएंगी।

iv. **शहरी आवास:** सरकार आवास सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक करोड़ घर बनाने के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश करेगी। इस योजना में किफायती दरों पर ऋण की सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रावधान भी शामिल है। सक्षम नीतियों और विनियमों के माध्यम से बेहतर उपलब्धता के साथ एक कुशल और पारदर्शी किराया आवास बाजार को भी स्थापित किया जाएगा।

v. **जल आपूर्ति और स्वच्छता:** बैंक योग्य परियोजनाओं के माध्यम से सरकार राज्य सरकारों और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ साझेदारी करके 100 बड़े शहरों में जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं को बढ़ावा देगी।

बढ़ती आबादी को समायोजित करने और टिकाऊ शहरों को सुनिश्चित करने के लिए शहरी विकास महत्वपूर्ण है। सरकार की प्रस्तावित पहलों का उद्देश्य शहरों को विकास केंद्रों के रूप में विकसित करना, रोज़गार सृजित करना, शहरी स्थिरता को बढ़ाना और शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

प्राथमिकता 6: ऊर्जा सुरक्षा

आर्थिक विकास को बनाए रखने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। यह बजट उच्च, संसाधन-कुशल आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। घोषित प्रमुख पहल हैं:

i. **ऊर्जा संक्रमण:** सरकार ऊर्जा संक्रमण पथ पर एक नीति लाएगी जो रोज़गार, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करेगी। सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 1.5 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं।

ii. **पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना:** इस योजना का उद्देश्य छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना है जिससे 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके। लोगों में इसके प्रति बेहद उत्साह के कारण वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 6,250 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

iii. **स्टोरेज नीति:** विद्युत भंडारण के लिए पंप भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नीति तैयार की जाएगी जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को उसके परिवर्तनशील और अस्थायी प्रकृति के साथ एकीकृत करने में सुविधा होगी।

iv. **छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों का अनुसंधान एवं विकास:** परमाणु ऊर्जा विकसित भारत के ऊर्जा मिश्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। सरकार भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना, भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान एवं विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।

v. **उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट:** भारत ने उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) थर्मल पावर प्लांट के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है। एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में एयूएससी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

बजट में घोषित उपाय वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप हैं जो संभावित रूप से भारत के कार्बन पदचिह्न को कम करते हैं और देश को स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी स्थान दिलाते हैं।

प्राथमिकता 7: बुनियादी ढांचा

बुनियादी ढांचे में निवेश का रोज़गार गुणक प्रभाव बहुत अधिक होता है, उत्पादकता में सुधार होता है और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। बजट में अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए भरपूर वित्तीय सहायता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है जिसमें चालू वर्ष के लिए निम्नलिखित पहल शामिल हैं:

i. **केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश:** केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत होगा। राज्य सरकारों को भी पूंजी निवेश 2024–25 के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ तक पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

ii. **बुनियादी ढांचे में निजी निवेश:** सरकार व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण, सक्षम नीतियों और बाजार आधारित वित्तपोषण ढांचे के माध्यम से बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देगी।

iii. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई):** 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई का चौथा चरण शुरू किया जाएगा।

iv. **पर्यटन अवसंरचना:** केंद्र सरकार प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विकसित करने में राज्य सरकारों की सहायता करेगी। पर्यटन विकास से रोज़गार सृजित होंगे, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और अन्य क्षेत्रों के लिए आर्थिक अवसर खुलेंगे।

अवसंरचना विकास के लिए प्रचुर आवंटन 2024–25 के बजट की आधारशिला है। यह औद्योगिक विकास, आर्थिक वृद्धि, रोज़गार सृजन और बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा।

प्राथमिकता 8: नवाचार, अनुसंधान और विकास

अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) और नवाचार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। आर एंड डी को बढ़ाने के लिए 'अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष' का संचालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बजट में 1 लाख करोड़ का वित्तपोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पांच गुना बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। अनुसंधान और नवाचार पर सरकार का ध्यान तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देगा और उच्च तकनीक वाली नौकरियां पैदा करेगा।

प्राथमिकता 9: अगली पीढ़ी के सुधार

अगली पीढ़ी के सुधारों का उद्देश्य अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाना है। सरकार आर्थिक विकास के दृष्टिकोण को परिभाषित करने और सुधारों की अगली लहर को आगे बढ़ाने के लिए एक आर्थिक नीति ढांचा तैयार करेगी। ये उत्पादकता बढ़ाएंगे और अधिक कुशल बाज़ारों और क्षेत्रों की सुविधा प्रदान करेंगे। इन सुधारों में राज्य सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्यों को सुधारों के तेजी से क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बजट में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि-संबंधी सुधारों के लिए राज्यों को 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण का एक हिस्सा आवंटित करने का प्रस्ताव है।

बजट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी निवेश के लिए नियमों और विनियमों को सरल बनाने का भी प्रस्ताव है ताकि अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित की जा सके, निवेश को प्राथमिकता दी जा सके और विदेशी लेनदेन के लिए भारतीय रुपये के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

उपसंहार

तेजी से बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सूझ-बूझ से आगे बढ़ते भारत में 2024–25 का बजट एक सुदृढ़ और स्थायी भविष्य की दिशा तय करता है। इन पहलों की सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, निरंतर निरीक्षण और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्था निर्धारण पर निर्भर करेगी। ❑